



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 511 राँची, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-8/2017-17487 (HRMS)--श्री अरूण कुमार एक्का, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-877/03, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1193/म०को०, दिनांक 26.11.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री एक्का विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, फलतः सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर श्री एक्का से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-502 दिनांक 18.01.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से बिन्दुवार मंतव्य की मांग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2065, दिनांक 13.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-818(ii)/ म०को० दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य पर सहमति संसूचित की गई।

श्री एक्का के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य की जाँच एवं समीक्षोपरांत, मनरेगा योजनाओं के पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी मानते हुए श्री एक्का के विरुद्ध विभागीय संकल्प स०-11402(एच० आर० एम० एस०), दिनांक-13.11.2020 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-412, दिनांक-11.02.2021 के माध्यम से श्री एक्का का अपील अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ। अपील अभ्यावेदन में श्री एक्का द्वारा समर्पित बिन्दुवार तथ्य निम्नवत् हैं:-

(i) उनके विरुद्ध गठित प्रपत्र-‘क’ किसी सक्षम प्राधिकार के द्वारा हस्ताक्षरित न होते हुए भी त्रुटिपूर्ण प्रपत्र-‘क’ पर विभागीय कार्यवाही चलाकर दण्ड देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ii) उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उनसे कारण पृच्छा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-19(i) के अन्तर्गत लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी। नियम-19(i) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नियम-18 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने सम्बंधी कोई आदेश निम्नलिखित कार्रवाईयों के बिना नहीं दिया जाएगा :-

(क) उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार के आरोपों, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी तथा यदि वह चाहे तो प्रस्ताव के विरुद्ध ऐसा अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर,

(ख) सरकारी सेवक द्वारा खण्ड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन पर विचार और

(ग) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।

नियम-20 के अन्तर्गत यदि विशेष प्रक्रिया अपनाते हुए उन पर दण्ड अधिरोपित किया गया है, तो उक्त परिस्थिति में भी प्रस्तावित शास्ति पर उन्हें अभ्यावेदन देने का एक अवसर नहीं दिया गया तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से भी परामर्श नहीं लिया गया।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से माह जुलाई 2020 में उनके मामले पर मंतव्य प्राप्त किया गया। इस संबंध में कहना है कि श्रीमती अराधना पटनायक, भा०प्र०से०, तत्कालीन उपायुक्त, गुमला को उक्त मामले में दोषी पाया गया था। उन्हीं के द्वारा इस मामले में मंतव्य दिया गया है, जो वर्तमान में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

(iv) वर्ष 2006-07 मनरेगा अन्तर्गत जेट्रोफा एवं अन्य फलदार वृक्षों के सामाजिक वाणिकी से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि तत्कालीन उपायुक्त, गुमला, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक भी थी, के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया था तथा उन्हें क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा राशि विमुक्ति भी सीधे एजेंसी को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला से की गई थी। एन०जी०ओ० के चयन एवं राशि के प्रथम किस्त के भुगतान की प्रक्रिया में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला का कोई योगदान नहीं रहा है।

(v) वर्ष 2007-08 अर्थात् कार्यक्रम के प्रारंभ होने के एक वर्ष बाद ही स्वयं सहायता समूह पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। स्वयं सहायता समूहों पर केचुआ खाद के फर्जी अभिश्रव प्रस्तुत करने के आरोप पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के निदेश पर स्वयं उनके द्वारा रायडीह थाना, गुमला में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रस्तुत फर्जी अभिश्रव की राशि को काटते हुए राशि की विमुक्ति की जा सकती थी। जहाँ तक अस्वीकृत प्लॉटों पर वृक्ष लगाये जाने का प्रश्न है, उन अस्वीकृत प्लॉटों की भी स्वीकृति देते हुए संशोधित स्वीकृति आदेश निर्गत किया जा सकता था। उक्त योजनाएं तीन वर्ष की थी, जिसे अगले वर्ष में अजीवित पौधों के बदले नये पौधे लगाये जा सकते थे। स्थल परिवर्तन कर पौधा लगाने का मौखिक निदेश तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा सभी एन०जी०ओ० को दिया गया था। उक्त आलोक में सभी संबंधित एन०जी०ओ० के द्वारा स्थल परिवर्तन का प्रतिवेदन अंचल अधिकारियों से सत्यापित कराते हुए डी०आर०डी०ए०, गुमला को उपलब्ध कराया गया था। जिसपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वस्तुतः यह डी०आर०डी०ए०, गुमला के त्रुटिपूर्ण क्रियाकलाप को परिलक्षित करता है।

(vi) उपायुक्त, गुमला द्वारा उनके कारण पृच्छा पर यह मंतव्य दिया गया है कि राशि विमुक्ति संबंधी आदेश की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विलंब से प्राप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। इस संबंध में कहना है कि उक्त आदेशों की प्राप्ति से संबंधित साक्ष्य की प्रति डी०आर०डी०ए०, गुमला में ही उपलब्ध है। डी०आर०डी०ए०, गुमला द्वारा ही उक्त आदेशों की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था।

(vii) उनके कारण पृच्छा पर उपायुक्त, गुमला के द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिये बिना स्वीकृत प्लॉट के अतिरिक्त अन्य प्लॉटों पर लगाये गये पौधे हेतु मस्टर रॉल निर्गत कर इसकी एम०आई०एस० इन्ट्री नहीं की जानी थी। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही स्वीकृत प्लॉटों के विरुद्ध ही मस्टर रॉल निर्गत किया गया था, अपितु उपायुक्त, गुमला के निदेश पर अस्वीकृत प्लॉटों पर भी पौधा लगाने का निदेश दिया गया था, जिसके कारण एन०जी०ओ० द्वारा स्वीकृत प्लॉटों के अतिरिक्त प्लॉटों पर भी पौधा लगाया गया। मेरे द्वारा मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते नरेगा के मार्गदर्शिका के आलोक में कर्तव्य पालन करते हुए ससमय एम०आई०एस० इन्ट्री करायी गयी। यदि अस्वीकृत प्लॉटों पर वृक्षारोपण करने की सैद्धांतिक स्वीकृति

डी०आर०डी०ए०, गुमला द्वारा नहीं दी गई थी, तो किस परिस्थिति में मजदूरी एवं अभिश्रव के द्वितीय किस्त का भुगतान डी०आर०डी०ए०, गुमला से किया गया।

श्री एक्का द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

(i) श्री एक्का के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3276, दिनांक-26.12.2016 से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र प्राप्त है। अतः यह सक्षम स्तर से प्राप्त है।

(ii) उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2019 के नियम-19(क) (ख) एवं (ग) के तहत कदाचार अथवा अवचार के आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी को लिखित जानकारी देते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण भी प्राप्त है। तत्पश्चात् उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला एवं ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य प्राप्त कर समीक्षोपरान्त मनरेगा योजनाओं के पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी मानते हुए श्री अरूण कुमार एक्का, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-11402(एच० आर० एम० एस०) दिनांक-13.11.2020 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

(iii) अपील आवेदन में समर्पित क्रम संख्या-3 “श्रीमती अराधना पटनायक, भा.प्र.से., उपायुक्त, गुमला सम्प्रति सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को उक्त मामले में दोषी पाये जाने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iv) उक्त योजना से संबंधित एन. जी. ओ. के चयन एवं प्रथम किस्त की राशि के भुगतान में आरोपी पदाधिकारी का कोई योगदान नहीं है किन्तु उनके द्वारा अस्वीकृत प्लॉटों पर वृक्ष लगाये जाने का प्रतिवेदन सहित स्थल पर मौजूद पौधा से अधिक पौधा का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदित कि तत्कालीन उपायुक्त, गुमला द्वारा स्थल परिवर्तन कर पौधा लगाने का मौखिक निदेश दिया गया था, से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(v) राशि विमुक्ति संबंधी आदेश की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vi) आरोपी पदाधिकारी का यह तथ्य कि “कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्वीकृत प्लॉटों के विरुद्ध मास्टर रोल निर्गत किया गया था, अपितु उपायुक्त, गुमला द्वारा अस्वीकृत प्लॉटों पर भी पौधा लगाने का निदेश दिया गया था, जिसके कारण ही एन.जी.ओ. द्वारा स्वीकृत प्लॉटों के अतिरिक्त प्लॉटों पर भी पौधा लगाया गया। फलस्वरूप, मनरेगा अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते ससमय एम० आई० एस० एंट्री कराई गई, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी योजना में स्वीकृत कार्यादेश में अंकित प्लॉटों एवं प्राक्लित राशि के अनुरूप ही मास्टर रोल निर्गत किया जाना चाहिए था।

(vii) समीक्षा के तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री अरूण कुमार एक्का के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र एवं श्री एक्का द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला तथा ग्रामीण विकास विभाग का मंतव्य प्राप्त कर जाँच करते हुए समीक्षोपरान्त मनरेगा योजना के पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी मानते हुए विभागीय संकल्प सं०-11402(एच० आर० एम० एस०), दिनांक-13.11.2020 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त अंकित तथ्यों के आलोक में श्री एक्का द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-11402(एच० आर० एम० एस०), दिनांक-13.11.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त प्रस्ताव को दिनांक 14.09.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से० तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-11402(एच० आर० एम० एस०), दिनांक-13.11.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
	ARUN KUMAR EKKA JHK/JAS/24	श्री अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से० तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के विरुद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-11402(एच० आर० एम० एस०), दिनांक-13.11.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
